

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तार्ई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शाहिदा बनाम अब्दुल रहमान

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 83/2022  
पेश करने की दिनांक - 16.06.2022

यह मुकदमा आज वारते इनफिनाल कतई रुबरु देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक फारुक खत्री मुद्दई सीताराम रावत व राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम रामबाडी के हाल खसरा नम्बर 107 रकबा 1.04, 109/9684/1 रकबा 0.57 का खातेदार-निजामुद्दीन पुत्र इब्राहिम हि. 1/4 राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा केसरगंज शाखा अजमेंर, निसारअहमद पुत्र इब्राहिम हि. 1/4 शहिदाबेगम पत्नि मो. यासीन हि. 1/2 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा आदर्शनगर अजमेंर को, खसरा नम्बर 107/1 रकबा 0.08, 109/9684/2 रकबा 0.03, 108 रकबा 0.70 का खातेदार - अब्दुल रहमान पुत्र कादरबक्ष हि.- 1/6, अब्दुलरज्जाक मोमिन पुत्र कादरबक्ष हि.- 1/6, ताहिरा बानु पुत्री खलील रहमान हि. -1/24, नाजरा बानो अँसारी पुत्री खलील रहमान हि.- 1/24, मरियम अँसारी पुत्री कादरबक्ष हि.-1/6, मोहम्मद आरीफ अँसारी पुत्र इसाक मोहम्मद हि.- 1/36, मोहम्मद रफीक अँसारी पुत्र इसाक मोहम्मद हि.- 1/36 मोहम्मद हनीफ अँसारी पुत्र कादरबक्ष हि.- 1/6 रुकेया बानु पुत्री इसाक मोहम्मद हि.- 1/36, रजिया बेगम पत्नि इसाक मोहम्मद हि.- 1/36 रय्याज बानो पुत्री इसाक मोहम्मद हि.- 1/36 सरफराज पुत्र इसाक मोहम्मद हि.- 1/36, सायरा बानो पुत्री खलील रहमान हि.- 1/24 हाजरा पत्नि खलील रहमान हि.- 1/24 कोम मुसलमान को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक----- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 1/सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्तफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्तफरिक
मिजान	मिजान



उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

